IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 24, Issue 1, Ser. 10 (January. 2019) 92-97
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

अनुसूचित जाति की महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता एवं मानवाधिकार का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ अनामिका सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, एम एल के पी जी कॉलेज, बलरामपुर,

डॉ आशीष लाल

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र, एम एल के पी जी कॉलेज, बलरामपुर,

सारांश

भारत में दलित महिलाओं का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जटिल और विविध है, जो उनकी जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न के कई रूपों को दर्शाता है। दलित महिलाएं अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर एक उप–समूह हैं और भारतीय समाज में सबसे अधिक हाशिए पर और कमजोर समूहों में से हैं। दलित महिलाओं के राजनीतिक दृष्टिकोण उनके भेदभाव और हिंसा के अनुभवों के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए उनके संघर्षों से आकार लेते हैं। कई जमीनी सक्रियता और सामाजिक आंदोलनों में शामिल हैं जो जाति–आधारित भेदभाव और पितृसत्ता को चुनौती देते हैं, और अपने अधिकारों और हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं।

दलित महिलाओं के प्रमुख राजनीतिक दृष्टिकोणों में से एक राजनीतिक संस्थानों में सभी स्तरों पर अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी की मांग है। वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं तक अधिक पहुंच चाहते हैं और उन नीतियों में आवाज उठाते हैं जो उनके जीवन और समुदायों को प्रभावित करती हैं। प्रतिनिधित्व की यह मांग सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक व्यापक संघर्ष से जुड़ी है, और जाति, लिंग और अन्य प्रकार के भेदभाव के प्रतिच्छेदन की मान्यता से जुड़ी है। दलित महिलाओं का राजनीतिक दृष्टिकोण आर्थिक सशक्तिकरण और संसाधनों और अवसरों तक बेहतर पहुंच की उनकी मांग को भी दर्शाता है। कई भूमि अधिकारों, आजीविका, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के लिए संघर्ष में लगे हुए हैं।

साथ ही, दलित महिलाओं के राजनीतिक दृष्टिकोण भी हिंसा और भेदभाव के उनके अनुभवों से आकार लेते हैं, जिनका उनके जीवन और सामाजिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वे अक्सर यौन हिंसा, घरेलू दुर्व्यवहार और लिंग आधारित हिंसा के अन्य रूपों के अधीन होते हैं, और न्याय और निवारण तक पहुंच में प्रणालीगत भेदभाव का सामना करते हैं। कुल मिलाकर, भारत में दलित महिलाओं का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य सशक्तिकरण, समानता और सामाजिक न्याय के लिए उनके चल रहे संघर्ष और अधिक प्रतिनिधित्व, भागीदारी और संसाधनों और अवसरों तक पहुंच की उनकी मांग को दर्शाता है।

मुख्य शब्दः– मानव, समाज, समुदाय, समानता, आरक्षण, आर्थिक, हरिजन, राजनीतिक

प्रस्तावना

मानव को मानव बने रहने के लिए कुछ अधिकारों की आवष्यकता होती है। इन्हीं अधिकारों को सामान्यता मानव अधिकार के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक समाज, राज्य और समुदाय का यह कर्त्तव्य बन जाता है कि उस समाज और राज्य में रहने वाले प्रत्येक नर एवं नारी को बिना भेदीभाव पैदा किये उन्हें ये अधिकार उपलब्ध कराये जाये। भारतीय समाज में समानता के अधिकार के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाये। भारतीय समाज में समानता के अधिकार के अन्तर्गत हरिजन महिला को समाज में सभी अधिकार, सुविधायें तथा आरक्षण प्रदान किया गया है परन्तु इस सबके बावजूद सामान्य हरिजन महिला की सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। अभी भी हरिजन महिला वास्तविक स्थिति से बहुत दूर है। इसी पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए हमने इसी वर्ग की महिला को अपने अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बनाया गया है।

हरिजन वर्ग की महिलाओं के पिछड़ेपन पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो यह समस्या उभर कर सामने आती है कि क्या हरिजन समाज में अभी भी उनको उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। हरिजन महिलाओं के उत्थान हेतु कुछ प्राथमिकताओं, नीतियों अथवा जागरूकता की आवश्यकता है।

राजनीतिक सहभागिता प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का अनिवार्य संघटक है। प्रजातन्त्रीय व्यवस्थाओं में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें नागरिकों से भागीदारी की आशा की जाती है। राज्य में प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय इत्यादि के हित होते है। वे अपने हितों की प्राप्ति के लिए राज्य व शासन में भाग लेते हैं अतः वे शासन कार्य में अपने हितों की पूर्ति हेतु ही रूचि लेते हैं। राज्य व शासन में भाग लेने की इस प्रक्रिया को 'राजनीतिक सहभागिता' कहा जाता है।

व्यक्ति की राजनीतिक क्रिया निरन्तर, यदा–कदा, एक बार ही होती है, प्रत्येक स्थिति की ऐसी क्रिया है जिसका सीधा प्रभाव राजनीतिक समाज की संक्रियात्मकता पर पड़ता है। व्यक्ति की ऐसी राजनीतिक क्रिया (राजनीति, शासनीय निर्गतों सम्बन्धी निर्णय लेने की प्रक्रिया है) व्यक्ति को राजनीति में सहभागी बना देती है, यही व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता' है।

आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ जन–सहभागिता के सिद्धान्त पर आधारित होती है। जनसत्ता को व्यवहारिक बनाने का एकमात्र माध्यम, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन है। लोग वोट देकर एक निश्चित अवधि के लिए अपनी राजनीतिक सम्प्रभुता अपने द्वारा विधिवत् निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंप देते हैं। यह वोट देना एक राजनीतिक क्रिया है क्योंकि इससे राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयकारी शक्ति प्रभावित होती हैं, अतः मतदान राजनीतिक व्यवस्था की निर्णयकारी शक्ति प्रभावित होती हैं, अतः मतदान राजनीतिक सहभागिता है। स्पष्ट होता है कि राजनीतिक क्रियायें करने के कारण कुछ भी रहे हों उनका परिणाम हमेशा ही एक दिशा में होता है, अर्थात् राजनीतिक समाज के शासित होने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अतः राजनीतिक सहभागिता इसके कारणों व परिणामों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई विशेष प्रकार की राजनीतिक गतिविधि होती है।

राजनीतिक सहभागिता

राजनीतिक सहभागिता को परिभाषित करते हुए आमंड और पावेल ने कहा है कि ''भागीदारी वे व्यक्ति है जो (राजव्यवस्था) की निवेश संबंधी संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के प्रति अभिभुज करते है। और मांगो के स्वरूपीकरण में तथा निर्णयों के लिए जाने में या तो संलग्न रहते हैं अथवा अपने आपको संभावित रूप से इसमें संलग्न मानते है'' इस प्रकार राजनीति सहभागिता राजव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण निर्गत कार्य हैं जो सर्वाधिकारवादी व्यवसायों की अपेक्षा लोकतांत्रित राजव्यवस्थाओं में केन्द्रीय महत्व का हैं। आमन्ड और पावेल ने एक अन्य स्थान पर लिखा है कि ''समाज के सदस्यों का (अपनी) व्यवस्था के निर्णय निर्धारण की प्रक्रियाओं में संलग्न होना ही राजनीतिक सहभागिता है।

मानवाधिकार

मानवाधिकारों का अर्थ मानवीय मूल्यों की सुरक्षा से हैं। व्यक्ति के निजी विकास के लिये सम्पूर्ण संसाधनों का उपयोग अधिकार के रूप में किया जाना ही सामान्यतयाः मानवाधिकार है। राज्य के उद्भव से पूर्व मनुष्य इन अधिकारों का दावा निजी सुरक्षा के लिये करता था। वर्तमान में राज्य मानव विकास के लिए युक्तियुक्त अवसर की सुरक्षा देता है। अतः यहीं मानव सुरक्षा मानवाधिकार कहलाते है।

भारत में अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी

भारत में अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी को भेदभाव, उत्पीड़न और बहिष्कार के एक लंबे इतिहास द्वारा आकार दिया गया है। भारत में अनुसूचित जाति की महिलाएं अक्सर अपनी जाति, लिंग और सामाजिक–आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के कई रूपों के अधीन होती हैं, जो उनके लिए राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना और नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करना मुश्किल बना सकती हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक विकास हुए हैं। भारत का संविधान इन समुदायों की महिलाओं सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए स्थानीय सरकारी निकायों और विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इससे जमीनी स्तर पर राजनीतिक जीवन में भाग लेने वाली अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।

हालाँकि, उच्च स्तरों पर अनुसूचित जाति की महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम है। वे राजनीतिक दलों और सरकारी संस्थानों के भीतर भेदभाव और हाशियाकरण का सामना करना जारी रखते हैं, जो राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति की महिलाओं के पास अक्सर संसाधनों, शिक्षा और सामाजिक पूंजी की कमी होती है जो कार्यालय चलाने और प्रमुख जाति समूहों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक होती है। अंतर्निहित संरचनात्मक और प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने की भी आवश्यकता है जो अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और अधिकारों को प्रभावित करती हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों तक पहुंच के साथ–साथ जाति–आधारित भेदभाव और हिंसा से निपटने जैसे मुद्दों को संबोधित करना शामिल है।

कुल मिलाकर, जबकि हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक विकास हुए हैं, भारत में अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों की एक सीमा तक सीमित है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी नागरिकों के लिए लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों द्वारा निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होगी।

महिलाओं की राजनीतिक सहभगिता एवं मानवाधिकार का ऐतिहासिक अवलोकन

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और मानवाधिकारों का एक जटिल और विविध इतिहास है, जिसमें हाल के दशकों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नारीवाद की पहली लहर के साथ, 19वीं शताब्दी के अंत में महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यह आंदोलन महिलाओं के लिए कानूनी और राजनीतिक समानता हासिल करने पर केंद्रित था, जिसमें मतदान का अधिकार और सार्वजनिक पद धारण करना शामिल था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश 1893 में न्यूजीलैंड था, उसके बाद 1902 में ऑस्ट्रेलिया था।

1960 और 1970 के दशक में नारीवाद की दूसरी लहर प्रजनन अधिकार, कार्यस्थल भेदभाव और घरेलू हिंसा सहित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर केंद्रित थी। इस आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों का निर्माण किया, जैसे कि 1979 में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CEDAW) का आंदोलन।

21वीं सदी में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और मानवाधिकारों में लगातार प्रगति हो रही है। कई देशों ने राजनीतिक पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कोटा या अन्य सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को अपनाया है। 2015 में, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया, जिसमें लैंगिक समानता प्राप्त करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य शामिल है।

इन अग्रिमों के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है और कुछ देशों में उनकी राजनीतिक भागीदारी सीमित रहती है। हालाँकि, महिलाओं के अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष और अब तक की गई प्रगति से उम्मीद जगी है कि भविष्य में अधिक समानता और न्याय प्राप्त किया जा सकता है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं में राजनीतिक सहभगिता एवं मानवाधिकार के प्रमुख कारक

सामाजिक कारक

सामाजिक पर्यावरण में अनेक कारक ऐसे होते हैं जिससे राजनैतिक भागिदारी की प्रकृति व सीमा दोनों का होना आवष्यक हैं जिससे समाज में स्पष्ट प्रभाव पड़ता हैं। इनमें मुख्य तत्व, शिक्षा, व्यवसाय, नगरीय एवं ग्रामीण, आयु, गतिशीलता, लिंग, धर्म, जाति और समूह इत्यादि। भारत में राजनैतिक भागिदारी में उपरोक्त कारकों का प्रभाव पाया जाता हैं। मुख्य जिज्ञासु व निरन्तर प्रयास करने वाला होता है। वह समाज में अपनी भागीदारी निभाता है और समाज में अपना प्रभाव छोड़ता हैं। राजनीतिक गतिविधियों में सहभागिता के माध्यम से व्यक्ति अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता हैं और उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति वह पर्यावरण को जानते, उससे अन्तक्रिया करने और उसको प्रभावित करने के लिए प्रेरित करती हैं। जिससे वह समाज में भागीदारी निभाता है।

राजनीतिक सहभागिता, राजनीति समाजीकरण का परिणाम हैं अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों में हुए अध्ययनों के आधार पर सामाजिक कारकों की राजनीतिक सहभागिता में भूमिका पायी जाती है जो निम्नलिखित हैं–

शिक्षा – शिक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया हैं और सामाजिक राजनीतिक में सहभागिता में वृद्धि करती है।

व्यवसाय – जब व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए व्यवसाय करना पड़ता हैं। जिसमें व्यक्ति के सामाजिक स्तर को पाया जाता हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे भी होते है जिनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के जीवन को राजनीतिक निर्णय लेने में अधिक प्रभाव पड़ता हैं। व्यवसाय करने में लगे व्यक्तियों को परस्पर आपसी मेल–मिलाप बढ़ाने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि उनको अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे ये लोग राजनीति में सक्रिया होते है। व्यापारी वर्ग अत्यधिक प्रत्येक देश में सर्वाधिक भागीदारी होती है। क्योंकि व्यापार में नागरिकों की देश में सर्वाधिक भगीदारी होती है। क्योंकि व्यापार में नागरिकों की व्यवस्ता अधिक होती है। देश में अत्यधिक व्यापार किया जाता है। और नौकरी पेशा व्यक्ति राजनीति में सक्रिय न के बराबर होती है क्योंकि इन्हें नौकरी पेशा व्यक्ति राजनीति में सक्रिया न के बराबर होती है क्योंकि इन्हें नौकरी पेशा करने में परिवार का ध्यान लगा रहता हैं।

आय –आय राजनैतिक सहभागिता को बहुत ज्यादा प्रभवित करती क्योंकि कम आय वाले व्यक्तियों को अवसर कम मिलते है जबकि ज्यादा आय वाले व्यक्तियों को अधिक अवसर मिलते है। धनी देशों में अधिक आय वाले नागरिकों की

राजनीति में अधिक रूचि रखती है। निर्धन, मध्यवर्गीय व निम्नवर्गीय व्यक्ति भी राजनीति में अपना भविष्य बनाते हैं परन्तु वर्तमान काल में धनी व्यक्ति ही बड़ा नेता बनता हैं। व्यक्तिगत स्तर पर आय का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हैं। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर भी यह तत्व प्रभावित करता है यह आवश्यक नहीं। जबकि हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं। कि अगर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय बढ़ती हैं तो राजनैतिक भगीदारी भी बढ़ जाती हैं।

नगरीय एवं ग्रामीण – नगरवासी ग्राम की अपेक्षा अत्यधिक राजनैतिक सहभागिता होती हैं। नगरीय लोगों की अपेक्षा कृषकों अथवा ग्रामवासियों में राजनीति सहभागिता में सक्रियता की संभावना कम ही होती है।

आयु – राजनैतिक सहभागिता में आयु व्यक्ति को अत्यधिक प्रभावित करता है। क्योंकि बच्चों तथा वृद्धों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है और ना ही ये राजनीति में सक्रिय सहभागिता नगन्य होता है। अनेक देशों के अध्ययन से यह पता चलता है कि युवा वर्ग और वृद्धों की तुलना में अधेड़ आयु के नर–नारी अधिक राजनैतिक सहभागिता निभाते है। राजनीति सहभागिता आयु के साथ–साथ बढ़ती हैं परन्तु 55–65 वर्ष की आयु के पश्चात् कम होने लगती है।

निवास – व्यक्ति का निवास स्थान व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता को बहुत बड़े स्तर पर निर्धारण करता है। व्यक्ति जिस स्थान पर अत्यधिक निवास करता है उसकी राजनीति सहभागिता अत्यधिक होती है। स्थायी निवास व्यक्ति अपने स्थानीय नागरिकों से भली–भांति परिचित होता है और स्थानीय समाज में उसकी अलग पहचान होती है। जिससे उसे राजनीतिक भागीदारी का अधिक अवसर प्राप्त होता है। और उसका स्थानीय नागरिक का भी समर्थन करती अतः अन्य क्षेत्रा से चुनाव लड़ना भी कठिन कार्य हैं जो नौकरी पेशा व्यक्ति का स्थानान्तरण होता रहता हैं जिससे वह राजनीति सहभागिता कम ही होती है।

धर्म – धर्म भी राजनैतिक भागीदारी को प्रभावित करने के कारकों में विशिष्ट स्थान होता हैं। और भारतीय राजनीति में तो धर्म का विशेष स्थान होता हैं क्योंकि धर्म व मनुष्य का अन्तिम से सम्बन्धित होता हैं और उचित या अनुचित कार्य करने या ना करने में व्यक्ति के अन्तमन की अहम् भूमिका होती हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अतः अन्य धर्म के व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ को अनुचित मानता है और अपने धर्म में रोकटोक बर्दाश्त नहीं करता। इसी कारण राजनैतिक नेता इन लोगों का फायदा उठाते है। और राजनीतिक में इनका प्रयोग करते है।

जाति – भारत की समाज व्यवस्था में जाति एक ऐसा परिवर्त्य हैं जो न केवल परम्परागत रूप से समाज के संगठन का आधार है जबकि सामाजिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण रानीतिक स्तर हैं। जाति ही राजनीतिक अवस्था में अत्यधिक हलचल मचाती है। जाति के आधार पर ऐसा समीकरण बैठाते है कि इस जाति के व्यक्तियों द्वारा वोटिंग होने पर जीत सुनिश्ति हैं। इसमें उन्हें यह सन्तुष्टि होती है कि हमारा भी कोई प्रतिनिधि संसद में होती है कि हमारा भी कोई प्रतिनिधि संसद में हमारी भलाई के लिये आवाज उठायेगा। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है सुश्री मायावती का राजनीति में प्रवेश उदाहरण मिलता है सुश्री मायावती का राजनीति में प्रवेश दलित वर्ग के होने पर वोट के होने पर वोट की ऐसी अवस्था बाटी जिससे वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर चार–बार सुशोभित हुई। अर्थात् जाति के आधार ही प्रत्याषी को खड़ा किया जाता है। अपना मनपंसद व्यक्ति हो और आपकी जाति का हो तो पूरा परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते है। अतः राजनीति में आरक्षण के तहत जाति के आधार पर सीधे का बंटवारा किया जाता है।

समूह – समूह के आधार पर उसका सारा जीवन व्यतीत होता है और उसकी भागीदारी में जितना अत्यधिक सक्रिय या निष्क्रिय होता है। व्यक्ति भी उतना ही सक्रिय या निष्क्रिय होता है। अतः जब व्यक्ति की जितनी पकड़ अधिक समाज में होती है वह उतना बड़ा राजनेता बन जाता है।

राजनीतिक कारक

राजनीतिक कारक के कारण भी राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करते हैं यदि व्यक्ति की राजनीतिक भागेदारी को सुनिष्चित करने में राजनीतिक करने में राजनीतिक कारकों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संचार माध्यम से राजनीतिक सहभागिता बढ़ाई जा सकती है अर्थात् राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता एवं माध्यमों की उपलब्धता, राजनीतिक जागरूकता तथा राजनीतिक प्रेरित भावना इत्यादि कारक भी सहभागिता को प्रभावित करते है। राजनीतिक के कारण ही शिक्षा का महत्व अधिक पाया जाता है। राजनीतिक सहभागिता महिलाओं द्वारा होने के कारण प्रषासन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता हैं। जिस कारण आज की शिक्षित–अशिक्षित महिलायें राजनीति में सक्रिया सहभागिता निभा रही है। कभी–कभी इसका उलट भी हो जाता है। जब नागरिक यह समझता है कि शासन और सरकार अपने कार्यों को करने में सक्षम और कुषल है तो वह समझने लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में उसकी सहभागिता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी सहभागिता के बिना भी सरकार सुचारू ढंग से कार्य कर रही है और अच्छे परिणाम दे सकती है।

आर्थिक कारक

राजनीतिक सहभागिता को आर्थिक व्यवस्था देने का भी प्रयास किया है। व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए राजनीति में भाग लेते हैं यद्यपि यह एक कारक हो सकता है, परन्तु अधिकांश विद्वान (यथा राबर्ट लेन) इसे स्वीकार नहीं करते है तथा तर्क प्रस्तुत करते है कि राजनीतिक सहभागिता पहले से ही धनवान लोगों में अधिक पायी जाती है।

सुझाव

अनुसूचित जाति की महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता एवं मानवाधिकार बढ़ाने हेतु मुख्य सुझाव हैं–

- महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम शिक्षित होना होगा। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही समाज में अंधविश्वास, कुरीतियाँ गलत परम्परायें दूर की जा सकती हैं।
- महिलाओं में राजनीतिक सहभागित के लिये महिला संगठनों का निर्माण हो और जिसमें इनका दायित्व महिलाओं को साक्षर बनाना है।
- महिलाओं के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाये।
- पुरूषों को महिलाओं के प्रति सोच बदलनी होगी उनकी इज्जत करते हुये उन्हें किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित करना होगा।
- चुनाव लड़ने के लिये विधायक/सांसद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लागू करना। जिससे पढ़े लिखे व्यक्ति ही राजनीति में आ सकें।
- चुनाव आयोग की तरफ से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिये पार्टी में 50 प्रतिशत महिला का टिकट देने की प्रक्रिया होना।
- चुनाव आयोग को दल बदल व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करना होगा। क्योंकि दल बदल कानून पारित होने पर बहुमत पाने के लिये आपसी खींचातानी नहीं होगी।
- निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिये आवश्यक कदम उठाना चाहिये क्योंकि निर्दलीय चुनाव जीतने पर वह किसी भी पार्टी में पैसों के लालच से चला जाता है।
- शोषण होने पर सख्त कानून का निर्माण होना चाहिए।
- भ्रष्टाचार कर्मचारी को पकड़ने के लिये भूतपूर्व प्रयास करते हुए पकड़े गये कर्मचारी को उचित दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिए।
- घरेलू हिंसा कानून के जरिये महिलाओं में जागरूकता लानी चाहिये जिससे महिलाओं को घरेलू हिंसा, अधिनियम 2005 की जानकारी हो सके।
- महिला आयोग द्वारा महिलाओं को महिला आयोग की जानकारी टीवी, चैनलों, समाचारों के जरिये जागरूकता लाने के आवश्यक प्रयास करना होगा।
- अन्तर्जातीय विवाह होने और सामाजिक तौर पर विवाह की स्वीकृति होनी चाहिये। जिससे भेदभाव को मिटाया जा सके।
- दहेज प्रथा पुरी तरह से समाप्त दहेज विरोधी कानून को सख्ती से लागू करना।
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिये निर्धन कन्याओं को फ्री कोंचिग की व्यवस्था होना चाहिये।
- दूर–दराज सुनसान जगह पर सरकार द्वारा स्कूल–कॉलेज की मान्यता न देते हुये यह कोशिश हो कि महिला स्कूल कॉलेज शहर में ही हों। जिससे माता–पिता अपने बच्चों को बिना डर स्कूल कॉलेज भेज सके।
- लघु उद्योग के लिये महिलाओं को दी जाने वाली लोन की राशि सीधी उनके बैंक खाते में मिलनी चाहिये और ब्याज राशि मुफ्त होनी चहिए।
- महिलाओं को मानवाधिकार की जानकारी के लिये स्कूल कॉलेज में मानवाधिकार का पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी।
- कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये एक ऐसा दल बनाना चाहिए जिससे वे परिवार वालों को समझाये कि कन्या भ्रूण हत्या होने पर वंश कहां से चलेगा और बहू कहां से लाओगे।
- महिलाओं को योग्यता अनुसार सरकारी विभाग या अर्द्धसरकारी महिलाओं की नियुक्ति।
- महिलाओं के अपने पैरों पर खड़े होने के साथ–साथ काम करने का पूर्ण अधिकार दिया जाये और परिवार वालों का हस्क्षेप न हो।
- जनसंख्या वृद्धि रोकने के प्रयास में हिन्दू हो या मुसलमान सिर्फ दो बच्चों का सख्त कानून लागू करते हुए सरकार द्वारा प्रभावकारी बनाने के लिये जगरूकता एवं समस्याओं की ज्यादा जनसंख्या होने पर सभी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

- छेड़छाड़, बलात्कार, यौन–शोषण होने पर अलग 'कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट' की स्थापना हो उसमें महिला अधिकारी जज की नियुक्ति हो जिसमें महिलाये अपनी व्यथा निःसंकोच सुना सके।

निष्कर्ष

भारत में अनुसूचित जाति (एससी) की महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी बहुत शोध और बहस का विषय रही है। अनुसूचित जाति भारत में ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों का एक समूह है जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था। समान अधिकारों और सुरक्षा की संवैधानिक गारंटी के बावजूद, अनुसूचित जाति की महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग अपनी जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के कई रूपों के अधीन हैं।

हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक विकास हुए हैं, कुछ अनुसूचित जाति की महिलाओं को स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक पदों पर चुना गया है। उदाहरण के लिए, 2019 के आम चुनावों में, 27 अनुसूचित जाति की महिलाएं भारतीय संसद के लिए चुनी गईं, जो कुल सीटों के लगभग 5% का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालाँकि, अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी शिक्षा के निम्न स्तर और राजनीतिक जागरूकता, गरीबी, और संसाधनों और अवसरों तक पहुँच की कमी सहित कई कारकों द्वारा सीमित है। कई लोग उत्पीड़न और हिंसा का भी शिकार होते हैं जब वे अपने राजनीतिक अधिकारों का दावा करने का प्रयास करते हैं।

स्थानीय सरकारी निकायों में अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों सहित इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। हालाँकि, ऐसी नीतियों का कार्यान्वयन असंगत रहा है, और अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए और अधिक व्यापक उपायों की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, कुछ सकारात्मक विकास हुए हैं, भारत में अनुसूचित जाति की महिलाओं को अभी भी राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के मामले में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और इन मुद्दों को हल करने के लिए और अधिक ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।।

संदर्भ सूची

1. कुरूक्षेत्र, (2011), सम्पादकीय, पृ0 सं0 33–35
2. गुप्त, एवं गुप्त, विश्व प्रकाश मोहिनी, (1996), महात्मा गांधी व्यक्ति और विचार, नई दिल्ली, पृ0 सं0 182–184
3. जाटव, डा0 डी.आर., (1996) राष्ट्रीय आन्दोलन में बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका, समता साहित्य सदन, जयपुर, पृ0 सं0 310
4. धुरिये, गोविन्द सदाशिवे, (1961), जाति वर्ण और व्यवसाय, पॉपुलर प्रकाषन मुम्बई, पृ0 सं0 242–252
5. प्रकाश, डा0 आम, (2010), ''भारतीय दलितों में सामाजिक गतिषीलता एवं राजनैतिक चेतना, कला प्रकाषन, वाराणसी–5, पृ0 सं0 97
6. प्रसाद, कमलकान्त, (2003) 21वीं सदी में दलितों की सत्ता में भागीदारी, अम्बेडकर इन इण्डिया, उ0प्र0, पृ0 सं0 36
7. यादव, विरेन्द्र सिंह, (2008), जेल में महिला कैदी मानवाधिकार एक समाजषास्त्रीय, अध्ययन, चौ0 चरण सिंह, मेरठ
8. राय, चन्द्रषेखर, (2000) मानवाधिकार पर संक्षिप्त नोट, षारदा प्रिटिंग प्रेस, नयागांव, लखनऊ
9. शर्मा, डॉ0 शिवदत्त, (2001), बालश्रम, मानव अधिकारों का उल्लंघन क्यों और कैसे? विधि, भारती पब्लिकेषन नई दिल्ली